

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52

113. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 4 में,—

धारा 4 का संशोधन।

- 5 (i) उपधारा (1) में, “केंद्रीय सरकार”, शब्दों के स्थान पर, “बोर्ड” शब्द रखा जाएगा ;
- (ii) उपधारा (2) में, “केंद्रीय सरकार” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “प्राधिकृत कर सकेगी” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, “बोर्ड, उपधारा (1) और उपधारा (1क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को, सहायक सीमाशुल्क आयुक्त की पंक्ति से निम्न पंक्ति के सीमाशुल्क अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

10 114. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 में,—

धारा 14 का संशोधन।

- (i) उपधारा (1) में, “अन्तरराष्ट्रीय व्यापार” से आरंभ होने वाले और “की कीमत ही है;” शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में, जहां,—

- (क) विक्रेता और क्रेता का एक दूसरे के कारबार में कोई हित नहीं है; या
- 15 (ख) उनमें से किसी एक का दूसरे के कारबार में कोई हित नहीं है, और विक्रय या विक्रय की प्रस्थापना के लिए एक मात्र प्रतिफल कीमत ही है।” ;

(ii) उपधारा (2) में, “केंद्रीय सरकार” शब्दों के स्थान पर, “बोर्ड” शब्द रखा जाएगा;

(iii) उपधारा (3) में,—

- (क) खंड (क) में, “केंद्रीय सरकार” शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, “बोर्ड” शब्द रखा जाएगा;
- 20 (ख) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

1999 का 42

‘(ख) “विदेशी करेंसी” और “भारतीय करेंसी” का वही अर्थ है जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ड) और खंड (थ) में क्रमशः उनका है।’

115. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 में,—

धारा 25 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

- 25 “(2क) केंद्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश की परिधि या उसके लागू होने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन ऐसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी किए जाने के एक वर्ष के भीतर किसी भी समय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या आदेश में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और प्रत्येक ऐसे स्पष्टीकरण का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो वह सदैव, यथास्थिति, प्रथम उक्त अधिसूचना या आदेश का भाग रहा हो।” ।

- 30 (ख) उपधारा (4) में, “उपधारा (1)” शब्दों, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, “या उपधारा (2क)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

116. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कक की उपधारा (1) में, “अठारह प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “दस प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 28कक का संशोधन।

- 35 117. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कख की उपधारा (1) में, “अठारह प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “दस प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 28कख का संशोधन।

118. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28झ की उपधारा (2) के पहले परंतुक में, “किसी निवासी आवेदक की दशा में के सिवाय,” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 28झ का संशोधन।

119. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (2) में,—

धारा 47 का संशोधन।

- 40 (i) “दो दिन” शब्दों के स्थान पर, “पांच दिन” शब्द रखे जाएंगे; और
- (ii) “अठारह प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर, “दस प्रतिशत” शब्द रखे जाएंगे।

120. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (1) के पहले परंतुक में, खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

धारा 61 का संशोधन।

“(i) किसी ऐसे माल की दशा में, जिसके क्षय होने की संभावना नहीं है, खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अवधि, पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर,—

- 45 (अ) ऐसे माल की दशा में, जो किसी शतप्रतिशत निर्यातानुमुख उपक्रम में उपयोग के लिए आशयित है, सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, जो वह ठीक समझे ; और

(आ) किसी अन्य दशा में, सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा छह मास से अनधिक की अवधि के लिए और मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा ऐसी और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, जो वह ठीक समझे।” ।

121. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ख में,—

धारा 129ख का संशोधन।

- 50 (i) उपधारा (2) में, “चार वर्ष” शब्दों के स्थान पर, “छह मास” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(2क) अपील अधिकरण, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील का विनिश्चय, उस तारीख से, जिसको ऐसी अपील फाइल की जाती है, तीन वर्ष की अवधि के भीतर कर सकेगा:

- 55 परंतु जहां धारा 129क की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई किसी अपील से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में कोई रोक आदेश किया जाता है वहां अपील अधिकरण ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा:

परंतु यह और कि यदि ऐसी अपील का निपटारा पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो उस अवधि की समाप्ति पर रोक आदेश निष्प्रभाव हो जाएगा।” ।

धारा 129घ का संशोधन।

122. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(3) यथास्थिति, बोर्ड या सीमाशुल्क आयुक्त, जहां ऐसा करना संभव हो, उस न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, किंतु एक वर्ष से अनधिक अवधि में उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आदेश करेगा।”।

सीमाशुल्क टैरिफ

5

नई धारा 8ग का अंतःस्थापन।

123. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) धारा 8ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

1975 का 51

लोक गणराज्य चीन से आयातों पर संक्रमणकालीन उत्पाद विनिर्दिष्ट रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।

‘8ग. (1) धारा 8ख में किसी बात के होते हुए भी, यदि केंद्रीय सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि किसी वस्तु का लोक गणराज्य चीन से भारत में ऐसी बढ़ी हुई मात्राओं में और ऐसी दशाओं में आयात किया जाता है, जिससे कि घरेलू उद्योग का बाजार विघटित हो सकता है या उसके विघटित होने की आशंका है, तो वह राजपत्र 10 में अधिसूचना द्वारा, उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकेगी:

परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी वस्तु की उतनी मात्रा को, जितनी वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, तब छूट दे सकेगी जब वह उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण रक्षोपाय शुल्क या उसके भाग के संदाय पर लोक गणराज्य चीन से भारत में आयातित की जाती है।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन अवधारण के लंबित रहने पर इस प्रारंभिक अवधारण के आधार पर कि बढ़े हुए आयातों 15 ने घरेलू उद्योग के बाजार को विघटित किया है या उसके विघटित होने की आशंका हुई है, इस उपधारा के अधीन अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकेगी:

परंतु जहां अंतिम अवधारण पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि बढ़े हुए आयातों से किसी घरेलू उद्योग का बाजार विघटित नहीं हुआ है या उसके विघटित होने की आशंका नहीं है तो वह इस प्रकार संगृहीत शुल्क का प्रतिदाय करेगी :

परंतु यह और कि अनंतिम रक्षोपाय शुल्क उस तारीख से, जिसको वह अधिरोपित किया गया था, दो सौ दिन से अनधिक के लिए 20 प्रवृत्त नहीं रहेगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन जारी कोई अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित कोई रक्षोपाय शुल्क, जब तक, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या ऐसे अधिरोपण में विनिर्दिष्ट रूप से लागू नहीं किया गया हो किसी शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या किसी मुक्त व्यापार जोन या विशेष आर्थिक जोन में किसी यूनिट द्वारा आयातित वस्तुओं को लागू नहीं होगा। 25

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम”, “मुक्त व्यापार जोन” और “विशेष व्यापार जोन” पदों के वही अर्थ हैं जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में उनके हैं। 1944 का 1

(4) इस धारा के अधीन प्रभाय शुल्क इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित किसी अन्य शुल्क के अतिरिक्त होगा।

(5) इस धारा के अधीन अधिरोपित शुल्क जब तक कि वह पहले ही प्रतिसंहत न किया गया हो, ऐसे अधिरोपण की तारीख से 30 चार वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी वस्तु का लोक गणराज्य चीन से भारत में, ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में आयात किया जाना बना रहना चाहिए, जिससे घरेलू बाजार विघटित होता है या उसकी आशंका हो और रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण बना रहना चाहिए तो वह ऐसे अधिरोपण की अवधि को उस तारीख से, जिसको ऐसा रक्षोपाय शुल्क पहली बार अधिरोपित किया गया था, दस वर्ष की अवधि से अधिक के लिए बढ़ा सकेगी। 35

(6) केंद्रीय सरकार, इस धारा के प्रयोजनों के लिए और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी, ऐसे नियमों में उस रीति के लिए, जिसमें रक्षोपाय शुल्क के लिए दायी वस्तुओं को पहचाना जा सकेगा और उस रीति के लिए, जिसमें ऐसी वस्तुओं के संबंध में बाजार के विघटन या उसकी आशंका को अवधारित किया जा सकेगा और ऐसे रक्षोपाय शुल्क के निर्धारण और संग्रहण के लिए उपबंध किया जा सकेगा।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

40

(क) “घरेलू उद्योग” से अभिप्रेत है,—

(i) भारत में वैसी ही वस्तु के या सीधे प्रतियोगी वस्तु के संपूर्ण रूप में निर्माता ; या

(ii) ऐसे निर्माता, जिनके भारत में वैसी ही वस्तु या सीधी प्रतियोगी वस्तु का सामूहिक उत्पादन भारत को उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का बढ़ा अंश ;

(ख) “बाजार विघटन” तब होगा, जब कभी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किसी वस्तु जैसी या सीधी प्रतियोगी वस्तु का आयात 45 पूर्णतः या अपेक्षाकृत रूप में इस प्रकार तेजी से बढ़ता है जिससे कि घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण तात्त्विक क्षति होती है या तात्त्विक क्षति होने की आशंका होती है;

(ग) “बाजार विघटन की आशंका” से बाजार विघटन का स्पष्ट और आसन्न खतरा अभिप्रेत है।

(8) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के शीघ्र पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।’। 50

कतिपय दशाओं में अतिरिक्त सीमाशुल्क का प्रतिदाय।

124. (1) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 में किसी बात के होते हुए भी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष 98.01 के अंतर्गत आने वाली बजरे पर स्थापित विद्युत परियोजनाएं 8 दिसंबर, 2000 से आरंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2002 को समाप्त होने वाली (दोनों तारीखों को सम्मिलित करते हुए) अवधि के भीतर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्राप्त समझी जाएंगी और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, बजरे पर स्थापित विद्युत परियोजनाओं को उक्त 55 अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्राप्त समझा जाएगा और सदैव इस प्रकार छूट प्राप्त समझा जाएगा मानो इस उपधारा के अधीन दी गई छूट सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में हो।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए उक्त उपधारा में निर्दिष्ट माल को छूट प्रदान करने की शक्ति भूतलक्षी रूप से केंद्रीय सरकार को होगी और सदैव इस प्रकार समझी जाएगी मानो सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन उक्त माल को छूट देने की शक्ति भूतलक्षी रूप से सभी तात्त्विक समयों पर केंद्रीय सरकार के पास हो। 60

(3) ऐसे सभी अतिरिक्त सीमाशुल्कों का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है किंतु इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट छूट सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में होती ।

(4) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त सीमाशुल्क के प्रतिदाय का दावा उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास के भीतर किया जाएगा ।

5 **125.** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित की जाएगी ।

पहली अनुसूची का संशोधन।